

पुष्क

श्री एम0 टासा
विशोध निदेशांक 10 गि10

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ टेक्निकली एजुकेशन,
प्रिन्सिपल केन्द्र, कम्प्यूनिटी सेन्टर, पीत बिहार
विकारा मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 1-11-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ टेक्निकली एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रिति करने के
संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 4.10.04 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निगति कर जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में संसम्मति से लिए गए
निर्णय के अंश में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली
से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के साथ निगति करने का निर्णय
लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के
शिक्षक/शिक्षक कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भ्रतान विद्यालय के शिक्षक/
शिक्षक कर्मियों को करना होगा तथा उन विद्यालयों में सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली
मापदंड के अनुरूप भवन में तदनुसू विद्यार्थियों को रखी निर्धारित करनी होगी:-

- 11- गैट रेन्ना हाई स्कूल, वेगम की हवेली, पटनासिटी
- 12- पज्य तपस्वी श्री राजीवजी महाराज सरस्वती विद्या मंदिर, हसनपुर
राजगीर।
- 13- सान्दरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, वंगी झा लेन, बूढ़यनाथ,
भागलपुर
- 14- आर0पी0एम0 स्कूल, कवहरी रोड, बिहारवारीफ, नालंदा
- 15- आर0एस0एम0 पब्लिक स्कूल, रापोल
- 16- इम्पिरियल पब्लिक स्कूल, हथवा, गोपालगंज
- 17- डी0 दुखनराम डी0एस0ई0 पब्लिक स्कूल, गीला रोड, दानापुर, पटना
- 18- पी0पी0एम0 स्कूल, वैकटेश्वरनगर, अहिल रोड, जहानाबाद
- 19- नोट्रेडम स्कूल, पुर
- 10- मदरा इंटरनेशनल एकेडेमी, एफ0सी0आई0 रोड, फुलवारीनगर, पटना
- 11- रेडियेन्ट इंटरनेशनल स्कूल, खगौल रोड, पटना
- 12- एडिसेड कान्वेंट स्कूल, विश्रुप्तनगर, कंकडवाग, पटना
- 13- डी0एस0भी0 पब्लिक स्कूल इंडस्ट्रीयल एरिया, बरारी, भागलपुर
- 14- रामकृष्ण विद्यामंदिर उच्च विद्यालय, गंधी निकुंज, रतनपुर,
भागलपुर

15. साताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, - विद्यालय का संशोधित पता, साताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पुपरी, सीतामढ़ी

✓ 16. सविनेन्ट पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया

- 2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।
- 3- यह अपेक्षा ताल्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

विद्ययासभाजन,
30/11/04

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला/पट्टाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पट्टाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाार्थ एवं प्रतिक्रियाार्थ प्रेषित।

1- विद्ययासभापति को सन्निहित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम एक ब सन्निहित का निरीक्षण किया जाएगा।

2- सन्निहित परिस्थितियों में विद्यालय को निम्न अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क: विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक कटौत किया जा रहा हो,

ख: अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए सन्निहित जागजात एवं अभिलेख जमा होने जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

ग: विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिला मंडल के लिए सुविधा की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मंडल में व्यय किया जा रहा हो,

घ: विद्यालय शैली गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गई नियमों के विरुद्ध हो एवं शैली कार्रवाई की जा रही हो

च: सी०वी०ए०सी०ई० मापदण्ड के अनुरूप भवनों में सी०वी०ए०सी०ई० मापदण्ड के अनुरूप विद्यार्थियों को संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04
प्रतिलिपि संबंधित जिला/पट्टाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पट्टाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाार्थ एवं प्रतिक्रियाार्थ प्रेषित।

क्रमांक 580 पटना, दिनांक 1-11-04
प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/प्राथमिक एवं माध्यमिक, मानव संसाधन विकास विभाग, विहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।